न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 40 / 2025

श्री अशोक ठकराल निवासी 38 / 4 किरण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर जयपुर राज0.

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 26.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 जिला कलेक्टर पीडीआर जयपुर के द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्ती के समय वसूली अधिकारी के नाम व पता की सूचना दे।

2 वर्तमान में PDR वसूली अधिकारी का नाम व पता की सूचना देवे।

3 जिला कलेक्टर पीडीआर जयपुर ने वसूली हेतु पत्र दिनांक 30.01.2023 को भेजा था यह वसूली पत्र जिस–जिस अधिकारी के पास कब से कब तक रहा की सूचना उपलब्ध कराये व की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराये।

4. बाकीदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराये।

5 बाकीदारों के बैंक खाते फ्रीज किये गये उसका विवरण उपलब्ध कराये।

6 बाकीदारों के निवास के तहसीलदार, पटवारी के नाम पते की प्रति उपलब्ध करायें।

7 यह कि गाँव बोरखण्डी कला पटवार हल्का बौरखण्डी कला भू.अभि.नि.क्षेत्र झिराना तहसील पीपलू, जिला टोक खाता संख्या नया 257 पुराना 250, 256 नया, 253 पुराना 258 नया, 251 पुराना उक्त जमीन हुसैन पुत्र रमजू खा की भूमि को सूचना उपलब्ध करायें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 746 दिनांक 08.05.2025, 845 दिनांक 19.05.2025 व 974 दिनांक 03.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 549 दिनांक 05.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 516 दिनांक 20.05.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)